


काद 72114
जगदीश 315 इंस्ट्रु

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5.6.17	<p>पनावली कोर्ट के मप हमीरगढ़ पर प्रेषित बख्त व वानत के मप तहसीलदार से जानकारी वादने, संबन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि वादी शाम हमीरगढ़ विभागा न 652, 682, 683, 703, 704, 705, 706, 708, 3963/702, 3964/705 किला 10 शब्दा 15 बीघा 14 बिरवा शामिल जो अपनी माता की मुमि में से विस्सा वाहता है। प्रतिवादी सभा की मृत्यु हो जाने से वादी का नाम विरासत से जम्मा सहश्वालदा है। अतः वादी का नाम राजशिव शेषाड में विरासत से आ जाने से पुनः शेषाड कोर्ट का पनाव जग नहीं होने से पुनः शेषाड ज विप्रा जाता है। आज यह लिखी कोर्ट के मप हमीरगढ़ में सरे आम सुनाया गया। पनावली केराल शमाड के मप नाम्बर सुनाया है।</p>	


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, हमीरगढ़

पीठासीन अधिकारी- श्रीमति रेणु मीना आर०ए०ए०

उनवान

1. श्री जगदीश पिता काजोड जाट निवासी आडूण
बनाम वादी
- 1 श्री हरबू पत्नी काजोड जाट निवासी आडूण
- 2 " धाणू पिता " "
- 3 " गजेश " "
- 4 " श्यामलाल " "
- 5 " वादी बनाम शिवशंकर ब्राह्मण निवासी हमीरगढ़
- 6 " भूवर पिता " "
- 7 " गापाल नौ कीब माता सु. कुलन बनाम सुन्दरलाल शं.
- 8 " विशन्त " "
- 9 " कुलन बनाम सुन्दरलाल ब्राह्मण निवासी हमीरगढ़
- 10 " मोंगीलाल पिता बंशीलाल " "
- 11 " लहरीलाल हमीरगढ़

दावा बाबत- 88,89 श.वी.अ

मुकदमा नम्बर :- 22114

निर्णय दिनांक :- 5.6.17

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 5.6.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

वादी का नाम राजरव शर्मा में विरासत से आजा है, पुत्रराज शर्मा ज विवाहा जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 5.6.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

